>

Title: Motion regarding constitution of Joint Committee on Offices of Profit.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to move the following:-

> "That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen Members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the Members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:-

That the functions of the Joint Committee shall be –

to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all " committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a Member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;

(ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

(iii) to scrutinize from time to time the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any

amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise.

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;

That the Members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Committee;

That in other respects, the rules of procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि सभाओं की लाभ के पदों संबंधी एक संयुक्त समिति गठित होगी जो पंद्रह सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें दस सदस्य इस सभा से और पांच सदस्य राज्य सभा से होंगे, जो, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित होंगे: -

संयुक्त समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे-

(एक) सभी मौजूदा "समितियां" (उन समितियों को छोड़कर जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 भेजा गया था) तथा सभी "समितियां" जो एतद्पश्चात् गठित की जाएंगी, जिसकी सदस्यता से एक व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने और होने से निरर्ह हो सकता है, की संरचना और प्रकृति की जांच करना;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबंध में सिफारिश करना कि किन पदों को निरर्ह किया जाना चाहिए और किन पदों को निरर्ह नहीं किया जाना चाहिए;

(तीन) समय-समय पर संसद की अनुसूची (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की संवीक्षा करना तथा योग, लोप अथवा अन्यथा किसी माध्यम से उक्त अनुसूची में संशोधनों की सिफारिश करना ।

यह कि संयुक्त समिति उपर्युक्त सभी अथवा किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय पर रिपोर्ट करेगी;

यह कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे;

यह कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति, समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होगी;

यह कि अन्य मामले में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा में प्रक्रिया नियम इस तरह के अंतर व संशोधन सहित लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाए; और

यह कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त होने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को प्रेषित करे ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>12.06 hrs</u>